संख्या-05/2023/1006-2288079/2023-12-5002(002)/4/2022

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान अन्तर्गत संचालित जैविक खेती कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/नमामि गंगे/339/2022-23, दिनांक 07.12.2022 एवं पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/नमामि गंगे/366/2022-23, दिनांक 27.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0107-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे क्लीन अभियान अन्तर्गत संचालित जैविक खेती कार्यक्रम योजना हेतु केन्द्रांश की धनराशि रु.3346.404 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश प्राप्ति विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.11.2022 एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।
5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

7. जिन मामलों में उ 0 प्र 0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं संगत शासनादेश दिनांक 08.11.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2402001020107 (नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.)	04 यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
2	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.)	08 कार्यालय व्यय	10,80,000 (रुपये दस लाख अस्सी हजार मात्र)
3	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	11,05,400 (रुपये ग्यारह लाख पांच हजार चार सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(के.60/रा.40-के.)		
4	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
5	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.)	27 सब्सिडी	16,93,20,000 (रुपये सोलह करोड़ तिरानवे लाख बीस हजार मात्र)
6	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	13,83,85,000 (रुपये तेरह करोड़ तिरासी लाख पचासी हजार मात्र)
7	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,06,10,000 (रुपये दो करोड़ छह लाख दस हजार मात्र)
8	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,40,000 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)
9	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	011	2402001020107 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना (के.60/रा.40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
	कुल			**33,46,40,400** **(रुपये तैंतीस करोड़ छियालीस लाख चालीस हजार चार सौ मात्र)**

महायोग	33,46,40,400 (रुपये तैंतीस करोड़ छियालीस लाख चालीस हजार चार सौ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-1-367-दस-2022-23- दिनांक: 9-1-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-05/2023/1006-2288079(1)/2023/12-5002(002)/4/2022, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्ति नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. अपर कृषि निदेशक, (सामन्यक/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।

9. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शत्रुन्जय कुमार सिंह

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।